संलग्नक- 9.1

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

पत्र सं0–17 / एन0वी0एच0सी0पी0 / एन0पी0 / 2024–25 / 2037–2 दिनांक 10/7/24

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कार्यक्रम (संचारी रोग) के अन्तर्गत राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0एच0सी0पी0) कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपदवार गतिविधिवार आवंटन के अनुसार धनराशि उपयोग / व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023, 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 41 / NVHCP / एन0पी0 / 2023–24 / 7827 दिनांक 08.01.2024 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग / व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था।

तत्क्रम में आर0ओ0पी0 वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधि के सापेक्ष FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार 12 माह हेतु आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग / व्यय किये जाने के लिये दिशा–निर्देश प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश से यदि किसी गतिविधियों में भिन्नता है वह ही इंगित किया जा रहा है, जो गतिविधि भिन्न नहीं है, उसे वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार ही उपयोग / व्यय किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है–

<table>
<tr><td></td><td>कार्यक्रम का नाम</td><td>राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम</td></tr>
<tr><td></td><td>विषय</td><td>राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित धनराशि के दिशा–निर्देश</td></tr>
<tr><td></td><td>मद</td><td>विवरण</td></tr>
<tr><td>1</td><td><u>81.1</u>
स्टेट रिफ्रेन्स लैब : मीटिंग कॉस्ट एवं ऑफिस व्यय / कन्टीजेन्सी</td><td>(मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। इस मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को भी अतिरिक्त बजट का आवंटन किया गया है। शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।
बजट का आवंटन संलग्न–01 के अनुसार किया गया है।
सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।</td></tr>
<tr><td>2</td><td><u>81.2</u>
मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिये–मीटिंग <u>कॉस्ट / कार्यालय व्यय / कन्टिन्जेन्सी</u> (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, <u>कम्यूनिकेशन) / रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस / प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0</u> टूल्स)</td><td>(मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये। दिशा–निर्देश यथावत् रहेगें।
प्रति एम0टी0सी0 हेतु रू0 3.00 लाख का आवंटन किया गया है। जिसमें 04 बैठक हेतु रू0 40 हजार (रू0 10.00 हजार प्रति बैठक) एवं अधिकतम रू0 25.00 हजार प्रति टैबलेट के क्रय हेतु तथा शेष धनराशि पूर्व प्रेषित दिशा–निर्देशो में अन्य समस्त व्यय के लिये आवंटित की गई है। जेम पोर्टल से क्रय में प्राथमिकता सुनिश्चित की जायेगी।
बजट का आवंटन संलग्न–02 के अनुसार किया गया है।
सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो में सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td><u>83.1</u>
हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन–</td><td>(जिला चिकित्सालय / मेडिकल कॉलेज हेतु)–
इस मद हेतु पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023–24 मे पत्र सं0–56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56 / डैप / एन0पी0 / 2023–24 / 1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। दिशा–निर्देश यथावत् रहेगें।
बजट का आवंटन संलग्न–03 के अनुसार किया गया है।
साथ ही मेडिकल कॉलेज से सन्दर्भित जनपदो की सूची निम्न तालिकानुसार निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेजो मे कियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर / लैब को निकटवर्ती जनपद के सन्दर्भित हेपेटाइटिस ए0 एवं ई0 मरीजों के उपचार हेतु धनराशि आवंटित की गई है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो मे सम्बन्धित मेडिकल कालेजो को धनराशि हस्तान्तरित किये जाने एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई की होगी।<table><tr><th>मेडिकल कालेज</th><th>संदर्भित जनपद</th></tr><tr><td>SNMC Agra</td><td>Agra, Firozabad, Mainpuri, Mathura</td></tr></table></td></tr>
</table>

AC

AMU Aligarh	Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras
ASMC Ayodhya	Ambedkar nagar, Amethi, Barabanki, Faizabad, Sultanpur
Azamgarh MC	Azamgarh, Ballia, Mau
GMC Bahraich	Bahraich, Balrampur, Gonda, Shravasti
GMC Banda	Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba
Basti MC	Basti, St kabirnagar, Siddharthnagar
UPUMS Etawah	Etawah, Kannauj, Auraiya
Ghazipur MC	Ghazipur, chandauli
BRD Gorakhpur	Deoria, Gorakhpur
AIIMS MC Gorakhpur	Kushinagar, Maharajganj
MLB Jhansi	Jalaun, Jhansi, Lalitpur
GSVM MC Kanpur nagar	kanpur Dehat , Kanpur nagar, Farrukhabad
KGMU Lucknow	Lucknow, Unnao, Bareilly, Shahj, Pilibhit, Badaun
SGPGI Lucknow	Sitapur, Hardoi, Kheri
LLRM Meerut	Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal, Gb nagar, Ghaziabad, Hapur Baghpat, Bulandshahar
Mirzapur MC	Bhadohi, Mirzapur, sonbhadra
MLNMC Prayagraj	Pryagraj, Fatehpur, Kaushambi
AIIMS MC Raebareli	Raebareli, Pratapgarh
SSMH Saharanpur	Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli
IMS BHU Varanasi	Varanasi, Jaunpur

83.2
ट्रीटमेन्ट सेन्टर: मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी–

(जिला चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज हेतु)–
उपरोक्त मद में संलग्नक 04 के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि को मण्डलीय जनपद/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/ब्लाक में स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के नोडल अधिकारी के निवर्तन पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र संख्या– 56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/ 2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही रू0 30,000.00 अन्य समस्त व्यय हेतु तथा 04 बैठक हेतु रू0 20,000.00 प्रति सेन्टर आवंटित की जा रही है। जिसके अनुसार ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।

81.3
आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट /एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार–

(मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान हेतु)–
इस मद में संलग्नक 05 के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0– 56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/ 2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।

1. जिनमें से दो कैम्प जनपदीय कारागारों में माह जुलाई एवं जनवरी के प्रथम शुक्रवार को तथा चार कैम्प जनपद के उच्च जोखिम समूह वाले क्षेत्रों में माह जून, अगस्त, दिसम्बर एवं फरवरी के प्रथम शुक्रवार को अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान द्वारा आयोजित करवाये जायेगें।कैम्प से प्राप्त स्क्रीनिंग की लाइन लिस्ट यू0डी0एस0पी0 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पीयर एजुकेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इस लाइन लिस्ट को **nvhcp.gov.in** एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करेगें।
2. कैम्प हेतु वायरल हिपेटाइटिस स्क्रीनिंग किट्स एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के जनपदीय भण्डार से तथा सामान्य औषधियाँ मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा ट्रीटमेन्ट सेन्टर से उपलब्ध करायी जायेगी।
3. प्रपत्र ग की लाइनलिस्ट की सूचना केवल यू0डी0एस0पी0 पोर्टल पर अंकित सूचना के अनुसार ही मान्य होगी।
4. प्रपत्र क एवं ख का विवरण पूर्व प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप यथावत रहेगें।
5. शेष दिशा–निर्देश उपरोक्त पत्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप यथावत रहेगें।

80.1
प्रीवेंशन (आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हिपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार)

(मेडिकल कॉलेज हेतु)–
उक्त मद में संलग्नक–6 के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा मेडिकल कॉलेजो में कियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर/स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री को प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।
प्रत्येक मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों (ओ0पी0डी0/प्रसूति विभाग/हेपेटोलॉजी विभाग/गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग/मेडिसिन विभाग/बाल चिकित्सा विभाग इत्यादि) मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री तथा जनपद के हाई रिस्क पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में न्यूनतम 10 कैम्प (संलग्नक–7 के अनुसार) हेतु आवंटित की गयी है। सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के सोशल एवं प्रिवेन्टिव मेडिसिन विभाग के सहयोग से कैम्प का स्थान मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेस्टिंग लैबोरेट्री के नोडल आफिसर द्वारा चिन्हित किया जायेगा।
प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु निम्न तालिकानुसार रू0 5,000.00 की धनराशि प्रयोग की जा सकती है–

क्रमांक	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प
1	परिवहन व्यवस्था	1,000.00
2	प्रचार–प्रसार (लाउड–स्पीकर, बैनर इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	2,000.00
3	रिफ्रेशमेन्ट	1,000.00
4	अन्य संचालन व्यय (स्टेशनरी, ट्रीटमेन्ट कार्ड इत्यादि)	1,000.00
	कुल धनराशि	5,000.00

83.3
इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर अंडर एन0वी0एच0सी0पी0

(जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज हेतु)–
उक्त मद में संलग्नक–8 के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र सं0–41/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।

83.5 HBIg	(मुख्य चिकित्साधिकारीगण/मेडिकल कॉलेज हेतु)– इस मद मे सलग्नक 09 के अनुसार आवटन किया गया है। जनपद मे एच0बी0आई0जी0 को नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए क्रय सुनिश्चित किया जायेगा एव जनपद के एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधाए उपलब्ध है तथा महिला चिकित्सालयों पर शीघ्र–अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। मेडिकल कालेज को आवंटित धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरांत जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा डी0एच0एस0 बैठक की कार्यवृत्त जारी होने के सात कार्यदिवसो मे सम्बन्धित मेडिकल कालेजो को हस्तान्तरित की जायेगी।
81.4 किट्स	(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब)– इस मद में स्टेट रेफरेन्स लैब (मेडिकल कॉलेज) एवं वायरल लोड टेस्टिग लेबोरेटरीज वाले जनपदो को संलग्नक–10 के अनुसार आवटन किया गया है। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से मेडिकल कालेज हेपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु RDT/ELISA किट्स एवं वायरल लोड टेस्टिग हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 अथवा ट्रू–नॉटकिट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते है। इस मद से जिला चिकित्सालयो पर स्क्रीनिंग के लिए आर0डी0टी0 किट्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 जनपदीय वेयर हाउस के स्तर से प्राप्त की जा सकती है। वायरल हिपेटाइटिस रोग के अधिक प्रसार वाले जनपदो मे जनपद आवश्यकतानुसार हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग हेतु ELISA किट्स का क्रय अपने स्तर से नियमानुसार कर सकते है साथ ही आर0टी0पी0सी0आर0 युक्त जनपदीय बी0एस0एल0–2 प्रयोगशाला/ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हेल्थ यूनिट पर उपलब्ध करायी जा रही ट्रू–नॉट मशीन के माध्यम से वायरल लोड टेस्टिग हेतु भी बजट अवमुक्त किया जा रहा है जिसका प्रयोग यह जनपद पूर्ववत नियमानुसार कर सकते है। किट्स के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 मद संख्या–81.5 कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी है। एन0वी0एच0सी0पी0, एन0सी0डी0सी0, भारत सरकार, नई दिल्ली के ई–मेल दिनांक 06.09.2021 के माध्यम से ट्रू–नाट विधि द्वारा हैपेटाईटिस बी एवं सी0 की वायरल लोड जाँच हेतु रू0 640.00+ GST प्रति जाँच की दर निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार नियमानुसार क्रय करते हुए वायरल लोड की जाँच सुनिश्चित करायें।
81.5 कन्ज्युमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0.	(मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालयों पर स्थित बी0एस0एल0 लैब हेतु)– इस मद मे सलग्नक 11 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023–24 मे पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनांक 22.09.2023 एव 56/डैप/एन0पी0/2023–24/ 1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।
81.6 कन्ज्यूमेबलस फॉर ट्रीटमेन्ट साईट्स	(जिला चिकित्सालय हेतु)– इस मद मे सलग्नक 12 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023–24 मे पत्र स0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/5187 दिनाक 22.09.2023 एव 56/डैप/एन0पी0/2023–24/ 1394–2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।
186.7 इन्सेन्टिव अंडर एन0वी0एच0सी0पी0 फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0	(मेडिकल कॉलेज/ जिला चिकित्सालय हेतु)– इस मद मे संलग्नक–13 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023–24 में पत्र स0–41/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।
185.C.S0775 185.C.S0776, 185.C.S0777, 185.C.S0779, ~~185.C.P188~~ मानव संसाधन मानदेय	इस मद मे संलग्नक–15 के अनुसार मे मेडिकल कॉलेजों में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एव स्टेट रेफरेन्स लैब (मेडिकल कॉलेज) मे जनपद स्तर पर कार्यरत् कर्मियो के 12 माह के मानदेय हेतु धनराशि FAMS पर आवंटित की गयी है। जिसमे मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि, लायल्टी बोनस/Experience बोनस, (केवल संविदा कर्मियों के लिए), ई0पी0एफ0 (मूल मानदेय 15000 तक वाले कर्मियों,) एवं आउटसोर्स हेतु ई0एस0आई0 (रु0 21000 तक के मानदेय हेतु,) जी0एस0टी0 एवं सर्विस चार्ज अधिकतम 10% तक सम्मिलित है। आवंटित धनराशि में से कार्यरत् मानव संसाधन जनपद मे दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस/Experience बोनस एव वार्षिक वृद्धि सहित (यदि लागू हो तो) सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण किये जाने के उपरान्त प्रदान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा रिक्त पदो हेतु रु0 1.00 लाख प्रति Medical Officer प्रति माह स्वीकृत है। कार्यरत् Medical Officer को वित्तीय वर्ष 2023–24 मे देय मानदेय के अनुसार ही मानदेय नियमानसार देय होगा।
83.6 03 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर	ट्रेनिंग– इस मद मे सलग्नक–15 के अनुसार मेडिकल कॉलेज मे क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एव ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर मे क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को एन0वी0एच0सी0पी0 के अतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् मेडिकल ऑफिसर की ट्रेनिंग आयोजित करने के लिये प्रति सेन्टर दो बैच हेतु कुल धनराशि रु0 500,000/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–250,000/–की दर से) आवंटित की गई है। जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।
81.8 05 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन	ट्रेनिंग– इस मद में संलग्नक–17 के अनुसार मेडिकल कॉलेज के माईक्रोबॉयोलॉजी में क्रियाशील स्टेट रिफेन्स लैब एवं ए0आई0आई0एम0एस0 गोरखपुर में क्रियाशील वायरल लोड टैस्टिग लैब को एन0वी0एच0सी0पी0 के अतर्गत स्टेट रिफेन्स लैब, वायरल लोड टेस्टिग लैबोरेट्री, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु प्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 500,000/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–250,000/–) आवंटित की गई है। जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 स0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ

समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।

83.7
01 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर

इस मद मे सलग्नक-19 के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है। इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नवत आयोजित किये जाने वाले पीयर सपोर्ट के प्रशिक्षण हेतु जिलो से प्रतिभाग कर रहे पीयर सपोर्ट के टी0ए0/डी0ए0/भोजन/ लॉजिस्टिक्स इत्यादि के लिये किया जा सकता है। इस हेतु विभिन्न प्रशिक्षण केन्दो मे प्रतिभाग हेतु जनपदों की सूची निम्नवत है-

Name of Centre	Participating Districts
SNMC Agra	Agra.Firozabad, Mainpuri, Mathura, Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras, Etawah, Kannauj, Farrukhabad
AIIMS MC Gorakhpur	Deoria, Gorakhpur, Kushinagar, Maharajganj, Azamgarh, Ballia, Mau, Basti, St kabirnagar, Siddharthnagar, Ambedkar nagar, Faizabad, Sultanpur
MLB Jhansi	Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, kanpur Dehat , Kanpur nagar, Auraiya
KGMU Lucknow	Lucknow, Unnao, Hardoi, Bareilly, Shahj, Pilibhit, Badaun, Amethi, Barabanki, Raebareli
LLRM Meerut	Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal , Meerut, JP Nagar, Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal
IMS BHU Varanasi	Bhadohi, Mirzapur, sonbhadra, Ghazipur, chandauli, Varanasi, Jaunpur
GMC Bahraich	Bahraich, Balrampur, Gonda, Shravasti, Sitapur, Kheri
SSMH Saharanpur	Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli
CMO Pryagraj	Pryagraj, Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh

जनपद/मेडिकल कालेज मे दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A-11033/101/07-Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।

83.8
01 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट

इस मद मे सलग्नक-20 के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है।
उपरोक्त मद मे मेडिकल कॉलेज आगरा, झॉसी, लखनऊ, मेरठ वाराणसी मे कियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर एवं मुख्य चिकित्साधिकारीगोरखपुर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0-50,000/- की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अर्तगत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवटन किया गया है।
जनपद/मेडिकल कालेज में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A-11033/101/07-Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये।
इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 के स्तर से पृथक से प्रेषित की जायेगी।

80.2
एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0/बी0सी0सी

(मुख्य चिकित्साधिकारी/मेडिकल कॉलेज हेतु)-
इस मद में संलग्नक 22 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पत्र सं0-56/डैप/एन0पी0/2023-24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023-24/ 1394-2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। मेडिकल कालेज को (संलग्नक-2) एवं जनपदों को (संलग्नक-3) के अनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग करते हुए गतिविधि सम्पादित कराई जाये।
उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों मे किया जाएगा-
1-फ्लैक्स बैनर, 6x3 फीट, मल्टी कलर, अनुमानित दर रू0 200 प्रति बैनर ।
2- पोस्टर (4 कलर) 30 x 20 इंच, अनुमानित दर रू0 15.00 प्रति पोस्टर।
3- होर्डिंग 20 x 10 फीट, अनुमानित दर रू0 5,200.00 प्रति होर्डिंग।
वायरल हिपेटाइटिस की प्रचार-प्रसार सामग्री को ब्लड बैंक, आई0सी0टी0सी0 तथा ए0आर0टी0 पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को आयोजित किये जाने वाले वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे के आयोजन हेतु भी किया जायेगा।
<u>नोटः मुख्य चिकित्साधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अ०मुक्त धनराशि में से उल्लिखित प्रचार-प्रसार सामग्री को अपने स्तर से क्रय कर जनपद के एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में जनता को जागरुक करने हेतु लगवायें तथा मेडिकल कालेजेज को आई0ई0सी0 हेतु आवंटित धनराशि सम्बन्धित संस्थान को हस्तांतरित करें।</u>

83.9
फार्मेट/रजिस्टर की प्रिन्टिंग

(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मेडिकल कॉलेज हेतु)-
इस मद मे संलग्नक 25 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पत्र सं0-56/डैप/एन0पी0/2023-24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023-24/ 1394-2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जाये।

81.7
एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट

(जिलाचिकित्सालय/मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान /मेडिकल कॉलेज हेतु)-
इस मद मे संलग्नक 26 के अनुसार पूर्व मे वित्तीय वर्ष 2023-24 मे पत्र सं0- 56/डैप/एन0पी0/2023-24/5187 दिनांक 22.09.2023 एवं 56/डैप/एन0पी0/2023-24/ 1394-2 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुरूप ही गतिविधि सम्पादित कराई जायें। उक्त के अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नवत् है-
1 प्रत्येक जनपद को आवंटित धनराशि का 75 प्रतिशत ट्रीटमेन्ट सेन्टर एव 25 प्रतिशत धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी अधिष्ठान पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2 नोडल अधिकारी सैम्पल एवं औषधियों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम (विशेष वाहक/कूरियर/नामित व्यक्ति) अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। जिला चिकित्सालयों द्वारा औषधियों एवं सैम्पल के ट्रांसपोर्टेशन का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के ट्रांसपोर्टेशन नियमों/दरों के अनुसार किया जाये त।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- FAMS Portal पर आंवटित धनराशि की सीमा के सापेक्ष ही व्यय की सूचना को अंकित करें, आंवटित धनराशि से अधिक व्यय की सूचना अंकित करना नियम विरुद्ध है।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार आवंटन की सीमा तक संगत मद में FAMS Portal पर व्यय विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में आवंटन की सीमा के ऊपर व्यय नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ०ई०एम० जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी०यू०/डी०एम०सी० के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- मानव संसाधन मद में बजट आवंटन मात्र है। आंवटित बजट के सापेक्ष बजट का जनपद स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन/पदों को ही वास्तविकता के आधार नियमानुसार ससमय मानदेय देय होगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रकिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- मानदेय की धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
- आउटसोर्स पद का वेतन निर्धारण Current Applicable Minimum Wages Act, 1948 के अर्न्तगत समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- आउटसोर्स पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन के EPF, ESI का ससमय भगतान संनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
- उक्त मदों से सम्बन्धित संलग्नक पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है

संलग्नक– जनपदवार, गतिविधिवार आंवटन

भवदीया,
(हस्ताक्षर) 10/7/24
(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

तद्‌दिनांक

पत्र सं0–17/एन0वी0एच0सी0पी0/एन0पी0/2024–25/

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ, उ०प्र०।
3. निदेशक, संचारी रोग/वी0बी0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. राज्य नोडल अधिकारी को इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मी (Accountants) के माध्यम से DHAP-2024-25 में आंवटित धनराशि के सापेक्ष राज्य/जनपद का नियमानुसार व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
5. समस्त मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. समस्त जनपद नोडल अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार गतिविधियों का संचालन तथा व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. महाप्रबन्धक नियोजन, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।
8. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।

9. महाप्रबन्धक, मानव संसाधन एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।
10. महाप्रबन्धक–एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र० को निर्देश के साथ कि संलग्न दिशा–निर्देश को UP NHM की website पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबंधक, डी०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस निर्देश के साथ कि डैप DHAP-2024-25 में आंवटित धनराशि का उपरोक्त दिशा–निर्देशा के अनुसार नियमानुसार व्यय तथा डैप DHAP-2024-25 के सापेक्ष व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 अम्बुज श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम,
संचारी रोग।

संलग्नक-9.2

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त–जनपद, उ0प्र0।

पत्र सं0–41/NVHCP/एन0पी0/2023–24/ 7827 दिनांक 08-01-2024

विषय– राष्ट्रीय कार्यक्रम (संचारी रोग) के अन्तर्गत राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु सप्लीमेंट्री आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु जनपदवार गतिविधिवार आवंटन के अनुसार धनराशि उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु सप्लीमेंट्री आर0ओ0पी0 वर्ष वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में स्वीकृत पीयर एजूकेटर एवं एम0ओ0, फार्मासिस्ट, एल0टी0 एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर गतिविधि के संचालन हेतु डैप हेतु FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार आवंटित धनराशि के अनुसार धनराशि के उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में सप्लीमेंट्री आर0ओ0पी0 में आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
एफ0एम0आर0 संख्या– NDCP.5.83.OOC.3 इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर–एन0वी0एच0सी0 पी0 3.2.2.3	उक्त मद में जनपदों के ट्रीटमेन्ट सेन्टर/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर में वायरल हेपेटाइटिस रोगियों का सतत उपचार जारी रखने के उद्देश्य से प्रतिसेन्टर 01 पीयर एजूकेटर की व्यवस्था हेतु धनराशि आवंटित की गई है। मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर में पीयर एजुकेटर/सपोर्ट की सेवाओं हेतु उनके टी0ओ0आर0 (संलग्न) एवं अन्य दिशा–निर्देश निम्नवत हैं– 1. पीयर एजूकेटर संविदा/आउटसोर्स की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। 2. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट हेतु ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी नोडल द्वारा उपयुक्त व्यक्ति को (वर्तमान अथवा पूर्व में हेपेटाइटिस उपचाराधीन रोगी को प्राथमिकता देते हुए) निम्न प्रावधानों के तहत पीयर एजूकेटर नामित किया जा सकता है– a. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट को अधिकतम रू0 10,000/– प्रतिमाह इन्सेन्टिव देय होगा। पीयर एजूकेटर/सपोर्ट को कोई मासिक मानदेय देय नही होगा। b. वर्तमान में कार्यरत कोई नियमित अथवा संविदाकर्मी अथवा आउटसोर्स कर्मी पीयर एजूकेटर के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। c. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट को उपरोक्त इन्सेन्टिव के अतिरिक्त कोई अन्य चार्जेस, शुल्क अथवा भत्ता देय नही होगा। d. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट के इन्सेन्टिव की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में मार्च, 2024 तक के लिए ही भारत सरकार से स्वीकृत है। आगामी वर्ष में भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त ही पीयर एजूकेटर/सपोर्ट की दर/सेवा अवधि निर्धारित होगी। 3. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भारत सरकार से प्राप्त टी0ओ0आर0 के अनुसार निम्न होंगी– • पीयर एजूकेटर को सम्बन्धित सेन्टर के नोडल अधिकारी मार्गदर्शित करेगें। • पीयर एजूकेटर एम0टी0सी0/टी0सी0 पर रोगियों के साथ संपर्क का प्रथम सूत्र होगें। • पीयर एजूकेटर विजिट रजिस्टर में सभी डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करेगें। • सेन्टर के सभी मरीजों के लिए पीयर एजूकेशन एवं मानसिक–सामाजिक सपोर्ट प्रदान कराना। • ट्रीटमेन्ट सेन्टर पर पंजीकृत मरीजों को चिकित्सालय के भीतर (ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में) सहायता प्रदान करेगें। • मरीजों के साथ निरंतर उपचार एवं 12 सप्ताह बाद वायरल लोड जांच (SVR) के महत्व के विषय में जानकारी देना। • मरीजों की दवाईयों का ब्यौरा लेना, उनकी निरंतर विजिट एवं ससमय जांच करने हेतु काउन्सिलिंग करना। मरीजों का फॉलोअप करना एवं आवश्यकतानुसार उनको पुनः

उपचार प्रारम्भ हेतु सहायता प्रदान करना।

- डाटा एन्ट्री आपरेटर की गैर मौजूदगी में डाटा इन्ट्री के कार्य का सम्पादन करना।
- नोडल अधिकारी / मेडिकल ऑफिसर द्वारा अन्य कोई भी एन0वी0एच0सी0पी0 सम्बन्धित कार्य।

4. जिला अस्पतालों मे क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को आवंटित पीयर एजूकेटर की व्यवस्था का चिन्हीकरण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / ट्रीटमेन्ट सेन्टर नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पीयर एजूकेटर व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के निर्वतन पर जिला अस्पताल में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. मेडिकल कालेज में कियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर / मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को आवंटित पीयर एजूकेटर का चिन्हीकरण ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पीयर एजूकेटर व्यवस्था हेतु आवंटित धनराशि ट्रीटमेन्ट सेन्टर / मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष / निदेशक, मेडिकल कालेज / सम्बन्धित नोडल अधिकारी के निर्वतन पर मेडिकल कालेज में हस्तान्तरित की जायेगी।
6. किसी अन्य व्यक्ति को पीयर एजूकेटर के रुप में नामित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना कि ट्रीटमेन्ट सेन्टर / मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के कैचमेन्ट एरिया / ट्रीटमेन्ट रजिस्टर / एन0वी0एच0सी0पी0 एम0आई0एस0 पोर्टल में कोई हेपेटाइटिस का मरीज अधिसूचित नहीं है।
7. किसी अन्य व्यक्ति को पीयर एजूकेटर के रुप में नामित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना कि यदि हेपेटाइटिस का मरीज अधिसूचित है किन्तु कार्यक्रम के अन्तर्गत पीयर एजूकेटर के रुप में कार्य करने हेतु सहमति प्रदान नहीं किया गया है।
8. हेपेटाइटिस उपचार पूर्ण कर चुके रोगी के कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष / निदेशक, मेडिकल कालेज / सम्बन्धित नोडल अधिकारी कार्य की निरंतरता बनाये रखने के लिए अपने स्तर से किसी भी अन्य व्यक्ति को (उल्लिखित नियमानुसार) पीयर एजूकेटर की सेवाओं के लिए नामित कर सकते है। भविष्य में योग्य पीयर एजूकेटर की उपलब्धता होने पर वर्तमान मे नामित पीयर एजूकेटर को 01 माह पूर्व नोटिस देकर योग्य पीयर एजूकेटर को ही नामित कर लिया जायेगा।

एफ0एम0आर0 संख्या– HSS.9.185.PME.2 इन्सेन्टिव एन0वी0एच0सी0पी0 फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0 8.4.11

उपरोक्त मद में आवंटित धनराशि से व्यय किये जाने हेतु दर निम्नवत् है:–

क0 सं0	विवरण
1	**मेडिकल ऑफिसर–** हेपेटाइटिस सी0 के रोगी के उपचार आरम्भ करने अथवा उपचार हेतु संदर्भित करने एवं रोगी की काउन्सिलिंग करने पर रू0 100/– (प्रारम्भिक डाटा एन्ट्री पूर्ण होने पर) एवं उपचार पूर्ण होने पर रू0 100/– (उपचार पूर्ण होने पर पोर्टल पर अन्तिम अंकन) प्रतिरोगी की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। हेपेटाइटिस बी0 के रोगी के उपचार आरम्भ करने अथवा उपचार हेतु संदर्भित करने एवं रोगी की काउन्सिलिंग करने पर रू0 100/– (प्रारम्भिक डाटा एन्ट्री पूर्ण होने पर) एवं उपचार पूर्ण होने पर रू0 100/– (उपचार पूर्ण होने पर पोर्टल पर अन्तिम अंकन) प्रतिरोगी की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
2	**लैब टेक्नीशियन–** हेपेटाइटिस बी0 एवं सी0 के रोगियों के लिए लैब टेकनीशियन को लैब में टेस्टिंग (स्कीनिंग अथवा वायरल लोड टेस्टिंग) करने पर एन0वी0एच0सी0पी0 पोर्टल पर प्रविष्टि पूर्ण होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि रू0 10/– प्रतिरोगी की दर से देय होगा (अधिकतम रू0 500/– प्रतिदिन / प्रतिलैब)।
3	**फार्मासिस्ट–** हेपेटाइटिस बी0 एवं सी0 के रोगियों के लिए फार्मासिस्ट को औषधियों के वितरण एवं रोगियों की काउन्सलिंग हेतु एन0वी0एच0सी0पी0 पोर्टल पर प्रविष्टि पूर्ण होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि प्रति वितरण रू0 10/– प्रतिरोगी की दर से हेपेटाइटिस सी0 के लिए मासिक एवं हेपेटाइटिस बी0 के लिए त्रैमासिक देय होगा।।
4	**डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–** हेपेटाइटिस बी0 एवं सी0 के रोगियों के लिए चिन्हित / नामित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को एन0वी0एच0सी0पी0 के एम0आई0एस0 पोर्टल पर सभी आवश्यक पैरामीटर्स की प्रविष्टि करने के लिए प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति एम0टी0सी0 / टी0सी0 की दर से देय होगा।

नोट:–उपरोक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान उन मेडिकल कालेज / जिला चिकित्सालय में कार्यरत मानव संसाधन को देय होगा जहां पर उपरोक्त कार्य हेतु पृथक मानव संसाधन तैनात नही है। इस मद में धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार से प्राप्त भुगतान की दर सम्बन्धी दिशा–निर्देश संलग्न है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022.23 एवं 2023–24 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना/कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2023–24 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हुए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- उक्त मदों से सम्बन्धित संलग्नक पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

संलग्नक– जनपदवार आंवटित धनराशि

भवदीय,

(डॉ0 पिंकी जोवल) 26/01/24
मिशन निदेशक

पत्र सं0–41/NVHCP/एन0पी0/2023–24/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ, उ0प्र0।
3. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम, चि0 एंव स्वा0 महानिदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ कार्यरत् कर्मी (Accounts) के माध्यम से डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि के सापेक्ष राज्य/जनपद का नियमानुसार व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. समस्त मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. महाप्रबन्धक–नियोजन, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0 को निर्देश के साथ कि संलग्न दिशा–निर्देश को UP NHM की website पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबंधक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ कि डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि का उपरोक्त दिशा–निर्देशा के अनुसार नियमानुसार व्यय तथा डैप (DHAP-2023-24) के सापेक्ष व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 लक्ष्मण सिंह)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

संलग्नक-9.3

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।

पत्र सं0–30/NVBDCP/एन0पी0/2023–24/ 5006 दिनांक 25/9/23

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय कार्यक्रम (संचारी रोग) के अन्तर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु पत्र सं0–56/डैप/एन0पी0/2023–24/1398–2 दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रेषित गाइडलाइन के उपरान्त शेष डैप हेतु जनपदवार गतिविधिवार आवंटन के अनुसार धनराशि उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधि के संचालन हेतु पत्र सं0 56/डैप/एन0पी0/2023–24/1398–2 दिनांक 19.05.2023 द्वारा जनपदवार गतिविधिवार 9 माह हेतु FAMS पर आवंटित धनराशि के अनुसार उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया था। आर0ओ0पी0 वर्ष 2023–24 में स्वीकृत गतिविधियों के सापेक्ष शेष 3 माह डैप हेतु FAMS पर जनपदवार गतिविधिवार आवंटित की जा रही है। इस प्रकार FAMS पर आवंटित 12 माह की धनराशि (डैप) के उपयोग/व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
	मलेरिया कार्यक्रम FMR Code- NDCP.2
Districts VBD Consultant (FMR-HSS.9.184.C.P294)	वर्तमान में कुल 14 Districts VBD Consultant कार्यरत है। प्रति संविदा Districts VBD Consultant हेतु @ रू0 38810/Month की दर से इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपद में कार्यरत 14 संविदा Districts VBD Consultants हेतु जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि की धनराशि आवंटित किया जा रहा है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। नोटः– कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य स्तर से किया जायेगा।
ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria (NDCP.2.64.ASHA)	भारत सरकार के पत्र संख्या V-11011/1/2022-NHM-II दिनांक 07.10.2022 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन स्टेरिंग ग्रुप (MSG) के कार्यवृत्त के एजेण्डा–15.जी0 के अनुसार रेडिकल उपचार पूर्ण कराने हेतु आशा को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि प्रति मलेरिया कनफर्म केस रू0 75 को बढ़ा कर रू0 200 प्रति मलेरिया कनफर्म केस कर दिया गया है। इस मद के अन्तर्गत कुल रू0 399.08 लाख (रू0 39907996.00) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। आशाओं को मलेरिया की रक्त पट्टिका बनाने अथवा आर0डी0टी0 किट से मलेरिया जांच करने पर रू0 15 प्रति जांच तथा रू0 200 प्रत्येक केस के पूर्ण आमूल उपचार एवं तीन वार मलेरिया केस का फालो–अप करने हेतु दिये जायेंगे।
A. Monitoring, Evaluation and Supervision	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में इस मद के अन्तर्गत वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल कार्यक्रम के सफल मॉनीटरिंग, सुपरविजन एवं इवैलुएशन एवं एपीडेमिक प्रिप्रेयर्डनेस हेतु जनपदीय अधिकारियों यथा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टर बॉर्न एवं जिला मलेरिया अधिकारी व

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आवंटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
and epidemic preparedness (only mobility expences) (NDCP.2.64. PME)	अन्य सम्बन्धित स्टॉफ को, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रति माह) के अनुसार, माह के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रु0 3.96 लाख (रु0 396000.00) की धनराशि आवंटित है।
B. Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64. PME)	इस मद के अंतर्गत प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति को रू0 132000.00 मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के मोबिलिटी सपोर्ट, के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रतिमाह) के अनुसार आवंटित की गयी है। इस मद में कुल धनराशि रु0 35.64 लाख का आवंटन जोनल एण्टोमोलोजिकल यूनिट के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपदों–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को किया गया है।
Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria (NDCP.2.64.IEC. 1)	इस मद के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को रु0 30000.00 की धनराशि रिकार्डिंग एवं रिर्पोटिंग फार्मस् एवं रजिस्टर इत्यादि की प्रिन्टिंग के लिये आवंटित है। जनपदों को आवंटित की गई धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
A. Training / Capacity Building (Malaria) (NDCP.2.64. CB)	इस मद में धनराशि रू0 13270500.00 का आवंटन Training/ Capacity Building (Malaria) हेतु 75 जनपदों को किया गया है, मलेरिया/वी0बी0डी0 कन्ट्रोल कार्यक्रम में ग्रामीण एवं अरबन आशाओं, ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संवेदीकरण एवं दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। प्रत्येक बैच में लगभग 20–25 प्रतिभागी रहेंगे जिनमें 20–22 आशाओं तथा 2 से 3 ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक बैच के लिए रू0 4500.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रशिक्षक को रू0 500.00 मानदेय देय होगा तथा प्रत्येक आशा को आने–जाने एवं प्रशिक्षण मानदेय हेतु रू0 100.00 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0 50.00 की धनराशि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।
B. Training/Capacity Building (Malaria) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64. CB)	इस मद के अंतर्गत रू0 157500.00 धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपद–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को धनराशि रू0 70000.00, लगभग 70 स्टाफ यथा–एल0टी0, एस0एल0टी0, एम0आई0, एफ0आई0, एच0आई0 इत्यादि की 01 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग हेतु आंवटित है। इस 1 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग हेतु व्यय आर0सी0एच0 गाइड लाईन के अनुसार किया जायेगा।

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
IEC/BCC for malaria (NDCP.2.64.IEC.2)	इस मद में जनपदो को आवंटित धनराशि का उपयोग मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एकीकृत रूप से जनहित में व्यापक जनजागरूकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार (बैनर, पोस्टर, होर्डिंग गाइकिंग इत्यादि द्वारा) एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा, जिससे जनसामान्य को मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोक–थाम व उन्मूलन हेतु समुचित उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।
Zonal Entomological units (NDCP.2.64.OOC.1)	इस मद के अंतर्गत प्रत्येक क्रियाशील/स्थापित जोनल एण्टोमोलॉजिकल यूनिट को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद–आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को रू0 25000.00 की धनराशि मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिंजेन्सी इत्यादि पर व्यय वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा। इस मद में रू0 225000.00 का आवंटन सम्बन्धित मण्डलीय 9 जनपद आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को किया गया है–

S. N.	Districts	For POL/ Hiring of Vehicles @ Rs. 33000/Month/Units Max or @ approved by DHS for 12 month) Rs. (FMR- NDCP.2.64.PME)	Training Budget (1 Day Training of around 70 staff-SLT/LT/IC / MI/FI/HI etc. @Apox. Rs.1000/head) Rs. (FMR-NDCP.2.64.CB)	Operational Research Budget Rs. (FMR-NDCP.2.64.OOC.1)	Entomological Kit and Contingency (Rs.50000 /Unit) Rs. (FMR-NDCP.2.64.OOC.1)	Entomological Budget Total Rs.
1	Agra	396000	70000	25000	75000	566000
2	Prayagra	396000	70000	25000	75000	566000
3	Bareilly	396000	70000	25000	75000	566000
4	Ayodhya	396000	70000	25000	75000	566000
5	Gorakhpur	396000	70000	25000	75000	566000
6	Jhansi	396000	70000	25000	75000	566000
7	Lucknow	396000	70000	25000	75000	566000
8	Varanasi	396000	70000	25000	75000	566000
9	Meerut	396000	70000	25000	75000	566000
Total Budget		**3564000**	**630000**	**225000**	**675000**	**5094000**

Grant for decentralized commodities (NDCP.2.64.DS)	इस मद से औषधियाँ, आर0डी0टी0 किट मलेरिया, कीटनाशक आदि का क्रय भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के नियमानुसार क्रय करें। डी–सेन्ट्रेलाइज्ड कमोडिटीज़ की सूची निम्नवत है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की दशा में जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे–

List of decentralized commodities	Approved Budget
✓ Chloroquine phosphate tablets – For Malaria (NDCP.2.64.DS.01)	**16.15 lakh**
✓ Primaquine tablets 2.5 mg – For Malaria (NDCP.2.64.DS.02)	**8.07 lakh**
✓ Primaquine tablets 7.5 mg – For Malaria (NDCP.2.64.DS.03)	**16.15 lakh**

<table>
<tr><td>कार्यक्रम का नाम</td><td colspan="2">राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम</td></tr>
<tr><td>विषय</td><td colspan="2">राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश</td></tr>
<tr><td>मद</td><td colspan="2">विवरण</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>✓ Pyrethrum extract 2% for space spray (for 14 urban malaria units-Agra, Aligarh, Prayagraj, Badaun, Bulandshahar, Ghaziabad, Jhansi, Kanpur Nagar, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffar Nagar, Varanasi) (NDCP.2.64.DS.05)</td><td>14.00 lakh</td></tr>
<tr><td>RDT Malaria- bi-valent (Antigen based) (For Non Project states)-For Malaria. (NDCP.2.64.DS.04)</td><td>Rs 418.66 Lakh (Kind grant) भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">उपरोक्त मदों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी धनराशि से उक्त तालिका में (✓) मार्क की गयी कमोडिटीज का क्रय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासन के नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।</td></tr>
<tr><td>Operational cost for spray wages (NDCP.2.64.OOC.2)</td><td colspan="2">वर्ष 2023 में होने वाले आई0आर0एस0 जनपदों को इस मद के अंतर्गत रू0 334.58 लाख की धनराशि Operational cost for spray wages हेतु आवंटित की गई है। वर्ष 2023 के लिए कुल मजदूरी मद में भुगतान करने हेतु आई0आर0एस0 हेतु जिलों का चयन के आधार पर, मजदूरी मद का भुगतान डैप के अनुसार जनपदों द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम</td></tr>
<tr><td>ASHA Incentive for referral of AES/JE cases (NDCP.2.66.ASHA)</td><td colspan="2">इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 5.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसे वर्ष 2022 में रिपोर्ट किए गए ए0ई0एस0 रोगियो की संख्या के आधार पर यह मानते हुए की सभी 100 प्रतिशत केस आशाओं द्वारा संदर्भित हैं। आशा द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 के संभावित रोगियों को निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज को सन्दर्भित करने पर यदि आशा द्वारा सन्दर्भित कोई रोगी ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी के रूप में निदानित, पंजीकृत एवं उपचारित किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित रू0 300/– प्रति ए0ई0एस0 रोगी की दर से सम्बन्धित आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाये। आशा के खाते में यह प्रोत्साहन धनराशि समय से हस्तान्तरित की जाये। आशा को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब ना किया जाये तथा ए0ई0एस0 रोगियों के सन्दर्भन हेतु आशा को प्रेरित किया जाये।</td></tr>
<tr><td>ICU Establishment in Endemic Districts-Other Operating Cost (NDCP.2.66.OOC)</td><td colspan="2">इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। 15 जनपदों में स्थापित समस्त 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 25000.00 प्रतिमाह प्रति पी0आई0सी0यू0 की दर से एवं समस्त 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 10000.00 प्रतिमाह प्रति मिनी पी0आई0सी0यू0 की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय यथा टेलीफोन/मोबाइल बिल, इण्टरनेट/डोंगल, वीकली एलर्ट/एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी इत्यादि के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई0टी0सी0 को सैम्पल कलेक्सन, पैकिंग एवं सैम्पल को ई0टी0सी0 से जिला अस्पताल भेजने हेतु रू0 1000 मासिक की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। यह धनराशि सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक ई0टी0सी0 को निर्गत की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>Monitoring and Supervision (NDCP.2.66.PME)</td><td colspan="2">इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 102.30 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
Operational Expenses-
ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रू0 8000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग कार्यालय उपयोगार्थ स्टेशनरी के कय, प्रिन्टिंग, टेलीफोन, इन्टरनेट बिलों के भुगतान इत्यादि हेतु नियमानुसार किया जायेगा।</td></tr>
</table>

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

Mobiltiy-

इस मद के अन्तर्गत ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु जनपद / ब्लॉक स्तर पर मोबिलिटी, ट्रैवलकॉस्ट आदि के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000 / – प्रति माह) की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है। वाहन का उपयोग जनपद / ब्लॉक स्तर पर तैनात ए0ई0एस0 / जे0ई0 कन्सलटेन्ट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा ए0ई0एस0 / जे0ई0 कार्यक्रम से सम्बधित कार्यों के निर्वहन हेतु किया जायेगा।

आवंटित धनराशि का उपयोग डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भॉति / जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर की प्रकिया के माध्यम से चयनित एजेन्सी से नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को मासिक आधार पर अनुबन्धित कर किया जाना है। शासकीय वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी।

District AES/JE Consultant (HSS.9.184.C.P293)

डिस्ट्रिक ए0ई0एस0 / जे0ई0 कन्सल्टेन्ट के स्वीकृत 15 पदों के सापेक्ष 6 जनपदों (गोरखपुर, बस्ती, मऊ, गोण्डा, श्रावस्ती एवं रायबरेली) में कार्यरत पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय हैं) सम्मिलित करते हुए एवं जनपद कानपुर देहात हेतु मूल मानदेय रू0 40,000 / – मासिक की दर से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत की वेतन बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

District AES JE Consultant (16.4.2.2.2.S04)- New FMR-HSS.9.184.C.P293 (in lakhs)

S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position -12 Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	1	0	0.61505	0.03075	0.00000	0.64580	7.74960
2	Kushinagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
3	Basti	1	1	0	0.61505	0.03075	0.00000	0.64580	7.74960
4	Sant Kabir Nagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
5	Siddharth nagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
6	Azamgarh	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
7	Mau	1	1	0	0.61505	0.03075	0.00000	0.64580	7.74960
8	Gonda	1	1	0	0.61505	0.03075	0.00000	0.64580	7.74960
9	Shrawasti	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	7.38060
10	Balrampur	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
11	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
12	Rae-barili	1	1	0	0.61505	0.03075	0.00000	0.64580	7.74960
13	Sitapur	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
14	Hardoi	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	0.00000
15	Kanpur Dehat	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	2.40000
District Total		15	6	9	7.26101	0.18304	0.00000	7.44405	48.52860

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आवंटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

Technical Assistant (HSS.9.184.C.P295)

इस मद के अन्तर्गत कुल 20 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 जनपदों (महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर देहात) में कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट हेतु मानदेय वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि, लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) एवं पी0एफ0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Program Assistant/District Technical Assistant (16.4.2.2.3.S01) New FMR-HSS.9.184.C.P295

S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment@5%	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	PF @ 13.36%	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	0	1	0.1[illegible]000	0	0	0.02004	0.17004	0.00000
2	Maharajganj	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
3	Kushinagar	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
4	Deoria	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
5	Basti	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
7	Siddharthnagar	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
8	Azamgarh	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
9	Mau	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
10	Ballia	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
11	Behraich	1	0	1	0.15000	0	0	0.02004	0.17004	0.00000
12	Gonda	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
13	Shrawasti	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	3.00816
14	Balrampur	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
15	Lakhimpur Kheri	1	1	0	0.19019	0.00951	0	0.02004	0.21974	2.63688
16	Rae-barili	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
17	Sitapur	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
18	Hardoi	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
19	Kanpur Dehat	1	1	0	0.23064	0.01153	0	0.02004	0.26221	3.14652
20	Saharanpur	1	0	1	0.15000	0	0	0.02004	0.17004	0.00000
	District Total	20	17	3	4.11720	0.18334	0.00000	0.40080	4.70134	50.29464

Data Entry Operator (HSS.9.184.C.P365)

इस मद के अन्तर्गत जे0 ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कुल 19 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 11 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, बहराईच, बलरामपुर एवं सीतापुर) में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि तथा नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की बृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

D.E.O. (16.4.3.1.9.S18) New FMR- HSS.9.184.C.P365

SN	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	PF@13.36%	ESI @3.25%	Agency Service Charge@10% (Maximum)	GST @18%	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	1	0	0.11898	0.00595	0.00000	0.01669	0.00406	0.01249	0.02874	0.18691	2.24292

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

2	Maharajganj	1	1	0	0.15377	0.00769	0.00000	0.02004	0.00000	0.00000	0.00000	0.18150	2.17800
3	Kushinagar	1	1	0	0.15377	0.00769	0.00000	0.02004	0.00000	0.00000	0.00000	0.18150	2.17800
4	Deoria	1	1	0	0.11898	0.00595	0.00000	0.01669	0.00406	0.01249	0.02874	0.18691	2.24292
5	Basti	1	1	0	0.15377	0.00769	0.00000	0.02004	0.00000	0.00000	0.00000	0.18150	2.17800
6	St Kabir Nagar	1	1	0	0.15377	0.00769	0.00000	0.02004	0.00000	0.00000	0.00000	0.18150	2.17800
7	Siddharthnagar	1	1	0	0.11331	0.00569	0.00000	0.01590	0.00387	0.01199	0.02712	0.17777	2.13324
8	Azamgarh	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
9	Mau	1	1	0	0.11898	0.00595	0.00000	0.01669	0.00406	0.01249	0.02874	0.18691	2.24292
10	Ballia	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
11	Behraich	1	1	0	0.15377	0.00769	0.00000	0.02004	0.00000	0.00000	0.00000	0.18150	2.17800
12	Gonda	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
13	Shrawasti	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
14	Balrampur	1	1	0	0.12679	0.00634	0.00000	0.01779	0.00000	0.00000	0.00000	0.15092	1.81104
15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
16	Rae-barili	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
17	Sitapur	1	1	0	0.11316	0.00566	0.00000	0.01512	0.00368	0.01188	0.02681	0.17631	2.11572
18	Hardoi	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
19	Ayodhya	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16907	0.00000
	Total	19	11	8		0.07397	0.00000	0.32004	0.04917	0.15181	0.34647		23.67876

नोटः कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रिक्त पदों पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बजट की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।

Microbiologist (HSS.9.184.C.S0548)

इस मद के अन्तर्गत जे0 ई0 सेन्टिनल प्रयोगषालाओं हेतु माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के कुल 19 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 4 जनपदों (आजमगढ़, बलिया, गोण्डा एवं सीतापुर) में कार्यरत माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्वीकृति मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए धनराशि आवंटित की जा रही है। 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Microbiologist (8.1.13.4.S01) New FMR- HSS.9.184.C.S0548

S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment@5 %	Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In- Position- 12 Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
2	Maharajganj	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
3	Kushinagar	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
4	Deoria	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
5	Basti	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
6	St. Kabir Nagar	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
7	Siddharthnagar	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
8	Azamgarh	1	1	0	0.73221	0.03661	0.03661	0.80543	9.66516
9	Mau	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
10	Ballia	1	1	0	0.73221	0.03661	0.03661	0.80543	9.66516
11	Behraich	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
12	Gonda	1	1	0	0.73221	0.03661	0.03661	0.80543	9.66516
13	Shrawasti	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
14	Balrampur	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
16	Rae-barili	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
17	Sitapur	1	1	0	0.73221	0.03661	0.03661	0.80543	9.66516
18	Hardoi	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
19	Ayodhya	1	0	1	0.55000	0	0	0.55000	0.00000
District Total		19	4	15	11.17884	0.14644	0.14644	11.47172	38.66064

Paediatricians-:(HSS.9.184.C.S0126)

15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 एवं 7 जनपदों मे स्थापित 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में बालरोग विशेषज्ञों के कुल 67 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 5 जनपदों (गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीर नगर, मऊ एवं सीतापुर) में ऑन–लाईन बिडिंग माडल के माध्यम से तैनात 09 बालरोग विशेषज्ञों को मानदेय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा–निर्देश पत्रांक सं0 18B/SPMU/DAP-HR/Appt./2018-19/2257, दिनांक 07.06.2018 के अनुसार देय होगा, जिसका विवरण निम्नवत है–

Paediatricians (8.1.2.2.S03) New FMR- HSS.9.184.C.S0126

S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5 %	Loyalty Bonus 3Yrs /5Yrs (If applicable)	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	1	0	1.50000	0	0	1.50000	18.00000
		2	2	0	1.20000	0	0	1.20000	28.80000
		6	0	6	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
2	Maharajganj	7	0	7	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
3	Kushinagar	2	2	0	2.50000	0	0	2.50000	60.00000
		4	0	4	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
4	Deoria	5	0	5	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
5	Basti	11	0	11	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	1.80000	0	0	1.80000	21.60000
		5	0	5	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
7	Siddharthnagar	7	0	7	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
8	Azamgarh	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
9	Mau	1	1	0	2.10000	0	0	2.10000	25.20000
		1	1	0	2.01000	0	0	2.01000	24.12000
10	Behraich	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
11	Gonde	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
12	Lakhimpur Kheri	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
13	Rae-bariely	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
14	Sitapur	1	1	0	2.45000	0	0	2.45000	29.40000
		1	0	1	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
15	Hardoi	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	0.00000
District Total		67	9	58	30.36000	0.00	0.00	30.36000	207.12000

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

Medical Officer (HSS.9.184.C.S0280)

वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में 15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु मेडिकल ऑफिसर के कुल 48 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान में 07 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, रायबरेली एवं सीतापुर) में कार्यरत 11 मेडिकल ऑफिसर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि एवं अर्ह कर्मियों का लायल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नवत् है–

Medical Officer (8.1.5.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0280									
S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	Loyalty Bonus 3Yrs/ 5Yrs (If applicable)	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	1	1	0	0.79877	0.03994	0.03994	0.87865	10.54378
		2	0	2	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
2	Maharajganj	1	1	0	0.92257	0.04613	0	0.96870	11.62440
		1	1	0	0.69458	0.03473	0	0.72931	8.75172
		1	1	0	0.66150	0.03308	0.06615	0.76073	9.12876
3	Kushinagar	1	1	0	0.92257	0.04613	0	0.96870	11.62440
		2	0	2	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
4	Deoria	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
5	Basti	2	2	0	0.87864	0.04393	0	0.92257	22.14168
		4	0	4	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	0.63000	0.03150	0	0.66150	7.93800
		1	1	0	0.60000	0.03000	0	0.63000	7.56000
		1	0	1	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
7	Siddharthnagar	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
8	Azamgarh	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
9	Mau	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
10	Behraich	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
11	Gonda	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
12	Lakhimpur Kheri	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
13	Rae-barili	3	1	2	0.63000	0.03150	0	0.66150	0.00000
14	Sitapur	3	1	2	0.63000	0.03150	0	0.66150	0.00000
15	Hardoi	3	0	3	0.60000	0	0	0.60000	0.00000
	District Total	48	11	37	14.56863	0.36844	0.10609	15.04316	89.31274

Staff Nurse (HSS.9.184.C.S0013)

वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में कुल स्वीकृत 1138 स्टाफ नर्स में से वर्तमान में विभिन्न जनपदों में पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत 590 स्टाफ नर्सों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि एवं अर्ह कर्मियों का लायल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्त मद में जनपदवार आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है–

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

Staff Nurse (8.1.1.2.S03) New FMR-HSS.9.184.C.S0013

S.No.	Name of District	Approved Positions	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	Loyalty Bonus 3Yrs/ 5Yrs (If applicable)	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	14	14	0	0.32290	0.01615	0	0.33905	56.96040
		24	24	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	84.34944
		76	0	76	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
2	Maharajganj	19	19	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	73.62120
		38	38	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	133.55328
		17	0	17	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
3	Kushinagar	10	10	0	0.32290	0.01615	0	0.33905	40.68600
		5	5	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	19.37400
		1	1	0	0.29288	0.01464	0.00000	0.30752	3.69024
		36	36	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	126.52416
		28	0	28	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
4	Deoria	19	19	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	73.62120
		47	47	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	165.18432
		28	0	28	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
5	Basti	36	36	0	0.32290	0.01615	0	0.33905	146.46960
		1	1	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	3.87480
		29	29	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	101.92224
		36	0	36	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
6	St. Kabir Nagar	16	16	0	0.32290	0.01615	0	0.33905	65.09760
		29	29	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	101.92224
		7	0	7	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
7	Siddharthnagar	17	17	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	65.87160
		50	50	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	175.72800
		11	0	11	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
8	Azamgarh	11	11	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	38.66016
		9	0	9	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
9	Mau	7	7	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	24.60192
		2	2	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	7.74960
		11	0	11	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
10	Behraich	18	18	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	69.74640
		42	0	42	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
11	Gonda	17	17	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	59.74752
		1	1	0	0.32290	0.01615	0	0.33905	4.06860
		20	20	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	50.40000
		18	0	18	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
12	Lakhimpur Kheri	12	12	0	0.30752	0.01538	0	0.32290	46.49760
		4	4	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	14.05824
		24	24	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	60.48000
		24	0	24	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
13	Rae-barili	4	4	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	14.05824
		12	12	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	30.24000
		40	0	40	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
14	Sitapur	2	2	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	7.02912
		1	1	0	0.25358	0.01268	0	0.26626	3.19512
		26	26	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	65.52000
		39	0	39	0.20000	0	0	0.20000	0.00000

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

15	Hardoi	4	4	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29288	14.05824
		14	14	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	35.28000
		34	0	34	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
16	Balrampur	40	0	40	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
17	Barabanki	28	0	28	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
18	Lucknow	12	0	12	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
19	Shrawasti	24	0	24	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
20	Unnao	20	20	0	0.20000	0.01000	0	0.21000	50.40000
		24	0	24	0.20000	0	0	0.20000	0.00000
District Total		1138	590	548	13.54876	0.47745	0.18634	14.21255	2034.24108

Ancillary Staff (HSS.9.184.C.S0460)

एन्सिलेरी स्टाफ के वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 64 पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 32 पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि तथा नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Ancillary Staff (8.1.9.6.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0460

S.No.	Name of District	Approved Position	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2022-23)	Increment @5%	PF @ 13.36 %	ESI @ 3.25 %	Agency Service Charge @10 % (Maximum)	GST @18 %	Total Monthly Salary for F.Y. 2023-24	Total Annual Salary (for In-Position - 12Months & Vacant Zero Months)
1	Gorakhpur	2	2	0	0.12155	0.00608	0.01705	0.00415	0.01276	0.02909	0.19068	4.57632
		1	1	0	0.11576	0.00579	0.01624	0.00395	0.01216	0.02770	0.18160	2.17920
		1	1	0	0.11025	0.00551	0.01547	0.00376	0.01158	0.02638	0.17295	2.07540
2	Maharajganj	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
3	Kushinagar	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
4	Deoria	4	4	0	0.11576	0.00579	0.01624	0.00395	0.01216	0.02770	0.18160	8.71680
5	Basti	3	3	0	0.14775	0.00739	0.02073	0.00504	0.01551	0.03536	0.23178	8.34408
		2	2	0	0.14071	0.00704	0.01974	0.00480	0.01478	0.03367	0.22074	5.29776
		1	1	0	0.13401	0.00670	0.01880	0.00457	0.01407	0.03207	0.21022	2.52264
		1	1	0	0.12155	0.00608	0.01705	0.00415	0.01276	0.02909	0.19068	2.28816
		1	1	0	0.11025	0.00551	0.01547	0.00376	0.01158	0.02638	0.17295	2.07540
6	St. Kabir Nagar	3	3	0	0.14775	0.00739	0.02073	0.00504	0.01551	0.03536	0.23178	8.34408
		1	1	0	0.13401	0.00670	0.01880	0.00457	0.01407	0.03207	0.21022	2.52264
7	Siddharthnagar	2	2	0	0.14775	0.00739	0.02073	0.00504	0.01551	0.03536	0.23178	5.56272
		2	2	0	0.13401	0.00670	0.01880	0.00457	0.01407	0.03207	0.21022	5.04528
8	Azamgarh	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
9	Mau	4	4	0	0.10607	0.00530	0.01488	0.00362	0.01114	0.02538	0.16639	3.99336
10	Behraich	4	4	0	0.12763	0.00638	0.01790	0.00436	0.01340	0.03054	0.20021	9.61008
11	Gonda	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
12	Lakhimpur Kheri	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

13	Rae-barili	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
14	Sitapur	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
15	Hardoi	4	0	4	0.10102	0	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	0.00000
District Total		64	32	32	2.72297	0.09575	0.37663	0.09157	0.28186	0.64238	4.21116	73.15392

कालाजार कार्यक्रम

IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar (NDCP.2.65.IEC)

इस मद में प्रचार–प्रसार हेतु आई0ई0सी0 तैयार करने के लिये जनपदवार दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/– की दर से प्रत्येक सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0/प्रभावित गांव हेतु बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है।
2. **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.25/– की दर से प्रत्येक प्रभावित गांव में पोस्टर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि में पोस्टर को चिपकायें जाने की दर भी सम्मिलित है।
3. **Sticker-** इस मद में प्रति स्टिकर अधिकतम रू 0.50/– की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आशा हेतु 100 स्टिकर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप A4/4 प्रन्टिंग में कराया जाना अनिवार्य है।
4. **Wall Writing-** सूचना विभाग की दरों पर वॉल राइटिंग कराना सुनिश्चित करे।

नुक्कड़ नाटक, ड्रम बीटिंग एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

Case search/ Camp Approach (NDCP.2.65.OOC.1)

केस सर्च कैम्प का मुख्य उद्देश्य कालाजार के नए/छिपे हुए रोगियों का पता लगाकर उनको पूर्ण रुप से उपचारित कर रोग के स्त्रोत को समाप्त करना है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर करें। इस कार्य को अपने निर्धारित क्षेत्र/गांव में कराने की समस्त जिम्मेदारी ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी। इसका पर्यवेक्षण जनपदीय वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सलटेण्ट (वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सलटेण्ट न होने की स्थिति में जिला मलेरिया अधिकारी–VBD staff) द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु जनपद स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

1. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों का कालाजार रोग के प्रति संवेदीकरण/प्रशिक्षण।
2. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रभावित ब्लॉक से 02 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर आशाओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगे। जनपद स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक को ब्लॉक पर ए0सी0डी0 के प्रशिक्षण हेतु (प्रति बैच–40 से 50 आशाओं) धनराशि रू0 500/– देय होगा।
3. जनपद के सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0/पंचायती राज/शिक्षा/आई.सी.डी.एस. इत्यादि विभागों के अधिकारियों/निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेण्टरों के प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण।
4. आंगनवाड़ी कार्यकत्री/आशा को रोग के लक्षणों से परिचित कराकर कालाजार के संदिग्ध रोगी चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कैम्प के माध्यम से अथवा घर–घर जाकर करेंगें–

- बुखार के रोगी जो 02 सप्ताह से अधिक अवधि से ज्वर से ग्रसित है उनका निकटतम पी0एच0सी0 पर सन्दर्भन करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देकर खोज अभियान में प्रतिभागी बनायें।

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
	• पूर्व में कालाजार से ग्रसित रोगी के शरीर अथवा चेहरे पर चकत्ते दाग इत्यादि होने पर उनके पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस (PKDL) की पुष्टि हेतु निकटतम पी0एच0सी0 पर संदर्भन करेंगे। • ब्लाक स्तर पर आशा को केस सर्च के आयोजन से पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्णी को मानदेय के रूप में रू0 100/– की धनराशि उसके खाते में देय होगी। केस सर्च के दौरान ए0सी0डी0 हेतु आशा को रू0 100/– प्रत्येक 50 घरों के भ्रमण के उपरान्त ए0एन0एम0/ सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि आशा के बैंक खाते में देय होगी। एक्टिव केस सर्च (ए0सी0एस0) वर्ष में 04 बार, फरवरी–मार्च, मई–जून, अगस्त–सितम्बर एवं नवम्बर–दिसम्बर माह में की जाएगी। • आशा द्वारा प्रत्येक कालाजार रोगी (VL&PKDL) को चिकित्सालय ले जाने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 500.00 दिया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP(KA)NHM /EPC/MSG Dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए। • कालाजार प्रभावित ग्रामों तथा उनके सीमावर्ती ग्रामों में कालाजार रोगी की खोज के उपरान्त प्रत्येक 03–04 ग्रामों के मध्य कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे क्षेत्र में खोजे गए रोगी की RK-39 kit से पुष्टि की जा सके तथा रोगी को ट्रीटमेंट सेन्टर पर संदर्भित किया जाए। कैम्प आयोजन हेतु ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीम बनाकर वाहन से क्षेत्र में भेजी जाएगी। प्रत्येक कैम्प के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 10000/– की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत टीम की यात्रा एवं कैम्प की प्रगति के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किराए पर वाहन ;अमीपबसम ीपतमद्ध लिया जा सकेगा, जिसकी दरें एन0एच0एम0 की अनुमोदित दरों के अनुसार होगा। • प्रत्येक कालाजार धनात्मक केस की सी0आई0एफ0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं PKDL केस का इलाज प्रारम्भ करने से पहले आई एग्जामिनेशन जेकलिस्ट भरा जायेगा। जिस हेतु उसे धनराशि रू0–200/– देय होगी। प्रत्येक धनात्मक रोगी के 01 माह, 06 माह एवं 12 माह पर फलोअप का दायित्व चिकित्सा अधिकारी का होगा। • विगत 03 वर्षो में जिन गांवों में कालाजार रोगी पाये गये है, उनकी सूची बनाकर उन गांवों एवं उनसे समीपवर्ती ग्रामों में अवश्य खोज अभियान चलायें। कालाजार रोगी का गांव जिस उपकेन्द्र (Sub Center) के अन्तर्गत आता हो, उस उपकेन्द्र को ईकाई मानकर संपूर्ण उपकेन्द्र में खोज अभियान का संचालन किया जाए। 5. कालाजार प्रभावित जनपद के प्रत्येक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों में RK-39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं जॉच किये संभावित रोगियों का विवरण सर्वेलेन्स रजिस्टर पर अंकित करेंगे। 6. इस मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पठन–पाठन सामग्री pamphlet, booklet, patient identity card, referral slip, register, reporting formats, transportation of logistics आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाये। 7. खोज अभियान के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार करायें। 8. सभी कालाजार रोगियों की HIV& TB की जांच करायी जाए तथा धनात्मक पायी जाने की दशा में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य मलेरिया/वी.वी0डी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। HIV& TB की जांच की रिपार्ट सी0आई0एफ0 के साथ लगा कर रखें।

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
Spray Pumps and accessories (NDCP.2.65.EQ)	इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग अवशेशी कीटनाशक छिडकाव हेतु आवश्यक स्प्रे–पम्प रिपेयर, स्पेयर पार्ट की खरीद, बाल्टी, मग, छोटी/कम वजन तौलने की डिजिटल मशीन आदि सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार कय प्रकिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।
Operational cost for spray including spray wages (NDCP.2.65.OOC.2)	इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी के (रू0 403/– प्रतिदिन की दर से) भुगतान हेतु किया जायेगा। वर्श में 02 चक्र में छिड़काव किया जायेगा–मार्च–अप्रैल एवं अगस्त–सितम्बर। प्रत्येक आई.आर.एस. स्प्रे राउण्ड में संबंधित आशा को जनजागरण एवं आई.आर.एस. में सहयोग हेतु रू 200.00 देय होगा। प्रत्येक नये कालाजार अथवा पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने पर उसके ग्राम अथवा मोहल्ले में फोकल आई.आर.एस. स्प्रे किया जाएगा।
Monitoring and Evaluation (NDCP.2.65.PME.1)	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हेतु जिला स्तर से कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए। ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक मलेरिया अधिकारी/मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/फाइलेरिया निरीक्षक/वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेशित करना सुनिश्चित करेंगे। एण्टोमोलॉजिकल टीम के द्वारा एण्टोमोलॉजिकल सर्वे करने हेतु हुए व्यय का भुगतान भी इसी मद के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर एवं राश्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने वाली कार्यशाला में प्रतिभाग करने पर होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जा सकेगा। ए0सी0डी0 एवं आई0आर0एस0 के दौरान एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 35000/– होगी।
Training for spraying (NDCP.2.65.OOC)	इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 एवं आई.आर.एस. छिड़काव कराने वाले कर्मचारी/आशा के प्रशिक्षण एव छिड़काव की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु कार्य पर नियमानुसार किया जाये। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 200/– अनुमन्य होगा।
Kala-azar loss of wages (NDCP.2.65.DBT)	कालाजार के रोगी को रोग की पुष्टि के उपरान्त उपचार पूर्ण होने पर रू 500.00 एवं पी.के.डी.एल. की पुष्टि होने पर रू 4000.00 Loss of wages के रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करे। भारत सरकार के राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP (KA) NHM/ EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।
	फाइलेरिया कार्यक्रम
State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting – (NDCP.2.68.P	जनपद के District Coordination Committee की बैठक में सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। मैपिंग करने वाले non endemic जनपदों के लिये धनराशि रू0 10000.00 एवं एम0डी0ए0 और TAS वाले जनपदों के लिये धनराशि रू0 25000.00 अनुमन्य है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के पूर्व 02 बैठकें, मध्य में 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है जिससे कार्यक्रम संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत किया जा सके। TAS कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक, 01 बैठक, NBS, PRE TAS, TAS के उपरान्त की जानी है। मैपिंग करने वाले non endemic जनपदों में कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है। समस्त आयोजन गाइड लाइन्स के अनुसार संम्पादित कराये जाये।

M

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
ME.3)	डी0सी0सी0 की प्रत्येक बैठक के लिए धनराशि रू0 5000/ अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।
Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.IEC.1)	इस मद में आवंटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत प्रपत्रों एवं परिवार–पंजिका इत्यादि में वहन किया जायेगा। परिवार–पंजिका को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि परिवार–पंजिका जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्रय नियमावली का अनुपालन करते हुये मुद्रण कराया जाये जिसके लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकतम धनराशि रू0 15.00 अनुमन्य है। आई0डी0ए0 हेतु चयनित जनपदों में औषधि आइवरमेक्टिन की निर्धारित/उचित खुराक देने के लिए आवश्यक फ्लैक्स मेजरिंग टेप (रंगीन प्रिंट) को छपवाकर तैयार कराने के लिए इस मद में आवंटित बजट का उपयोग करे। **Flex Measuring Tape-** (आई0डी0ए0 जनपदों हेतु) फ्लैक्स मेजरिंग टेप 12 सेमी0 चौड़ा एवं 180 सेमी0 लम्बा (रंगीन प्रिंट 04 कलर) में होगा, जिसका अधिकतम मूल्य रूपया 25/– (रूपया पच्चीस मात्र) होगा। परिवार पंजिका एवं फ्लैक्स मेजरिंग टेप को मुद्रित कराने के उपरान्त, शेष धनराशि से फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) छपवाकर प्रत्येक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को 10 ब्रोशर/लीफलेट जन प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान इत्यादि) को जागरूक कराने के उददेश्य से उपलब्ध करवायी जाए। <u>परिवार पंजिका मुद्रण संबंधी आवश्यक निर्देश–</u> प्रत्येक परिवार पंजिका को 250–300 व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए पर्याप्त होना चाहिए एवं 01 पेज पर 25 से अधिक नामों के अंकन की व्यवस्था न हो (अधिकतम 25 लाईन प्रति 1–4 पेज अर्थात् प्रत्येक परिवार पंजिका में 12 पेज या 06 पन्ने व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए एवं 02 पेज 04 कलर में लिम्फोडिमा एवं हाइड्रोसील के चित्रों के लिए तथा 04 पेज दिशा–निर्देशों के लिए)। परिवार पंजिका का कवर पेज एवं 02 रंगीन पेज (फाइलेरिया रोग के चित्रों हेतु) 190 जी0एस0एम0 के तथा शेष पेज 70 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है। अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट गैर सरकारी डी0ए0 एवं सुपरवाइजर के लिये आई0डी0 कार्ड की छपाई का प्राविधान रखा गया है जो कि एम0डी0ए0 राउण्ड के दौरान तक ही वैद्ध रहेगा। आई0डी0 कार्ड 190 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है एवं प्लास्टिक होल्डर और रिबन के साथ होगा। इसके अतिरिक्त डी0ए0 प्रशिक्षण मॉडयूल की छपाई के लिये सभी 50 जी0एस0एम0 जनपदों के 758 ब्लाक/अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में रू0 500.00 प्रति ब्लाक अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट के दर को संज्ञान में लेते हुये धनराशि रखी गयी है।
Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt. & private) /ICMR institutions) (@Rs.35000 each MDA district)-(NDCP.2.68. SRRE.4)	इस मद में जनपदों को रू0 35000.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त कार्य मेडिकल कालेज (सरकारी एवं प्राइवेट)/आई0सी0एम0आर0 इन्स्टीट्यूशन द्वारा किया जायेगा। एम0डी0ए0 कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद इसे कराया जायेगा तथा दो माह की अवधि के अंदर पूर्ण कराना होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा। गत वर्ष में कार्यकम के लिये भी भुगतान इसी मद से सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा-निर्देश
मद	विवरण
Morbidity Management (NDCP.2.68. IEC.2)	इस मद के अन्तर्गत मॉरबिडिटी मैनेजमेन्ट के कार्य संपादित किए जाएगे। जिसमें- • लिम्फोडिमा मैनेजमेंट के लिए रू0 500.00 प्रति रोगी (बाल्टी, टब, मग, साबुन, छोटी तौलिया व एन्टी बैक्टिरियल या एन्टीफंगल क्रीम)तथा फाइलेरिया क्लीनिक के लिए न्यूमैटिक पम्प, लिम्फोडिमा मैनेजमेंट हेतु विशेष कम्प्रेशन बैण्डेज आदि के क्रय हेतु निर्धारित है। फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट को जेम-पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट जेम-पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उक्त किट की उपलब्धता हेतु जेम पोर्टल पर उसकी मांग अनिवार्य रूप से डाल दी जाए)। • हाइड्रोसील ऑपरेशन कैम्प में एम0डी0ए0 अभियान के दौरान चिन्हित एवं लाइन लिस्ट किये गये हाइड्रोसील रोगियों को शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए अधिकतम रू0 750.00 प्रति रोगी निर्धारित है। रू0 750.00 में से चिकित्सक/सर्जन का मानदेय रू0 250.00 स्टाफ नर्स का मानदेय रू0 50.00, दो अटेन्डेट प्रत्येक को मानदेय रू0 25.00, रोगी की औषधि हेतु रू0 300.00 एवं रोगी की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था हेतु रू0 100.00 दिया जाना है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के दौरान लाइन-लिस्ट किए गए समस्त हाइड्रोसील केसेस का ऑपरेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि जनपद के सरकारी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सक न हो तो निजी चिकित्सालयों से शल्य चिकित्सकों को बुलाकर, कैम्प आयोजित करते हुए रोगियों का ऑपरेशन कराया जाए एवं चिकित्सकों को भुगतान उक्त मापदड़ों के अनुसार उनके बैंक खाते में किया जाए। • इस मद में आवटित धनराशि को फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु सामग्री, उपकरण तथा समुचित देखभाल (हॉस्पिटल बेस्ड एवं सेल्फ केयर) एवं हाइड्रोसील के रोगियों की शल्य-चिकित्सा पर व्यय किया जाना है।
Mobility support for Rapid Response Team (NDCP.2.68. PME.1)	इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत जनपद के रैपिड रिस्पॉस टीम के वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।
Monitoring & supervision-Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68 .PME.2)	इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0/NBS/Pre TAS/TAS अभियान के दौरान जनपदीय ब्लाक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाए।
Micro filaria Survey (@Rs. 13200 each Block /Urban RI Planning Unit) (NDCP.2.68. SRRE.3)-	एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 13200.00 आवंटित की गई है। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लाक एवं आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में 01 सेण्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता तथा प्रति स्थल रू0 300.00 स्लाइड जांच (रू 1.00 प्रति स्लाइड की दर से) हेतु एवं रू0 3600.00 प्रत्येक ब्लाक एवं अर्बन ब्लाक एवं अर्बन आर0आई0 प्लांनिग यूनिट कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक स्लाइड, कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। माइक्रोफाइलेरिया सर्वे एम0डी0ए0 गतिविधि पूर्व, Pre TAS पूर्व एवं मैपिंग हेतु किया जाना है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगो में ही किया जायेगा। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पाये गये एम0एफ0 धनात्मक रोगियों की सूची बनवाते हुये single dose therapy (DEC+ALB+IVR) से उपचार कराना सुनिश्चित कराये।

कार्यकम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

Microfilaria survey budget details-

S.no	NBS Budget Details (Bold)	NBS at 2 sites with 600 slides (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 2 Sites.	1800
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 2 Sites.	7200
3	Honorarium for examination of Slides to Technician.	600
4	Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)	3600
	Total	**13200**

Additional MF Survey (NDCP.2.68 .SRRE.1)

जो भी ब्लॉक अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट माइको फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर MF Rate <1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी में जाने से पूर्व अपने यहां एडिशनल MF survey सर्वे करवायेंगे। अगर FTS की उपलब्धता होती है तो यह सर्वे FTS के द्वारा किया जाएगा अन्यथा सर्वे की गतिविधि नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से की जाएगी। एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में 02 सेन्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता एवं रू0 7000.00 प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट पर कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में ही किया जाएगा। सर्वे में पाये गये FTS positive लोगों में नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से एम0एफ0 जांच की जाएगी। एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को सूची बनवाते हुए single dose therapy (DEC + ALB + IVR) से उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

Table 2: Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:

SN	Pre TAS Budget Details	Pre TAS at 3 sites with 900 valid samples. (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 3 Sites.	3060
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 3 Sites.	10800
3	Replenishment of marker pen cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. (Contingency)	7000
	Total	**20860**

ICT Survey/ TAS Activity: (NDCP.2.68 .SRRE.1)

जो भी ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर एम0एफ0 रेट < 1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी करवाएंगे। सभी पास हुए ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जो कि आस–पास हो, उनको जोड़कर एक यूनिट के रूप में बनाते हुए 500000 की जनसंख्या वाले समूह के EU (Evaluation Unit) बनायेगे। TAS गतिविधि में पास होने के उपरांत एम0डी0ए0 की गतिविधि बंद करते हुए सर्विलांस जारी रखेंगे अन्यथा एम0डी0ए0 की तैयारी करेंगे। TAS की गतिविधि के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक EU के लिए धनराशि रू0 2,62,500.00 (IDA जिले के लिये) एवं

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आवंटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
	रू0 150000.00 (MDA जिले के लिये) अनुमन्य है।
Post-MDA surveillance (NDCP.2.68. SRRE.5)	जो जनपद सम्पूर्ण TAS गतिविधि पूर्ण कर चुके हो उनके यहां ब्लॉकवार नाइट ब्लड सर्वे की गतिविधि जारी रहेगी इस गतिविधि को सुचारु रुप से चलाने हेतु धनराशि रुपया 70000.00 प्रति EU अनुमन्य है।
Training/ Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers- (NDCP.2.68.CB)	• इस मद में जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण / ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण / पैरामेडिकल कर्मचारियों / पर्यवेक्षकों / ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा। • जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500 /– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 100 /– अनुमन्य होगा। • ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में अधिकतम 40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट हेतु माइक्रोप्लान विकसित कराने हेतु मीटिंग कराने तथा रिपोर्ट तैयार कराये जाने के लिए प्रति ब्लॉक / आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू0 2000 /– अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0 / अर्बन कोर्डिनेटर को देय होगी। • माइक्रोप्लान एवं रिर्पोटिंग का प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक ब्लॉक / आर0आई0 यूनिट हेतु धनराशि रू0 2000.00 निर्धारित किया गया है, जिसमें माइक्रोप्लान एवं रिर्पोटिंग का प्रशिक्षण तथा माइक्रोप्लान बनाना तथा उसकी छायाप्रति (कुल 05 प्रति) कराया जाना सम्मिलित है। • दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0 100 /– देय होगा एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच धनराशि रू0 500 /– देय होगा। • लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए। • MMDP गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी endemic जिलों को धनराशि रू0 100000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। जिला एवं ब्लाक / अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जहां भी फाइलेरिया के मरीज हो, वहां प्रशिक्षण को करवाना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए धनराशि रू0 20,000.00 एवं प्रत्येक ब्लाक / अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट स्तरीय प्रशिक्षण के लिए रू0 5,000.00 अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला, कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए। • TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को धनराशि रू0 50000.00 अनुमन्य है। NBS/Pre TAS/TAS सभी गतिविधियों से पूर्व प्रशिक्षण का

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
	होना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी0 स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। • मैपिंग करने वाले non endemic जिलों में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को रू0 25000.00 धनराशि अनुमन्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का होना सुनिश्चित करें। इस धनराशि से में सक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायगा। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA (NDCP.2.68. ASHA)	• Drug Administrators, house-to-house भ्रमण कर लाभार्थियों की रजिस्टर में सूची अनुसार डी0ई0सी0 एंव अल्बेन्डाजॉल औषधियॉ, एम0डी0ए0 के दिशानुसार मात्राओं मे सेवन करायेगे। औषधि का सेवन कराने से पूर्व बैच नम्बर अवश्य नोट कर लें। • प्रत्येक टीम में 02 Drug Administrator होंगे, जिनका कार्य 01 दिन में 125 लाभार्थियों (लगभग 25 घर) को अपने सामने औषधि सेवन कराना है, जिस हेतु प्रत्येक 125 लाभार्थियों को दवा सेवन से आच्छादित करने पर प्रत्येक टीम को धनराशि रू0–250 मानदेय देय होगा। प्रत्येक पर्यवेक्षक (Supervisor) को प्रत्येक दिन के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रति टीम धनराशि रू0 50 देय होगा। (यदि आशा के क्षेत्र में 1250 जनसंख्या से कम है तो 10 दिन से कम का ही माइक्रोप्लान बनाए।) ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य है। 01 पर्यवेक्षक द्वारा 01 दिन में अधिकतम 06 टीमें ही पर्यवेक्षित की जाएगी। • जनपद के द्वारा फाइलेरिया मद में उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय विवरण में फाइलेरिया मद में आवंटित धनराशि के सोपक्ष अलग–अलग कार्यकलापों का उल्लेख कर उन पर व्यय की गई राशि के साथ साक्ष्य स्वरूप भुगतान के वाउचर/रसीद की हस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ, भ्रमण के दौरान भारत सरकार एवं राज्य मुख्यालय स्तर से आपके जनपद में आने वाली टीमों को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जायें। फाइलेरिया कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदों में विगत वर्षो की कितनी राशि अवशेष है, का भी विवरण उपलब्ध करायें।
Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC /Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA-	आई0ई0सी0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है– • **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/– (एक सौ पचास रूपया मात्र) की दर से प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु 02 बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है। बस स्टैंड, बाजार अन्य एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त बैनर बनवायें। • **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू0 5.25 (पॉच रूपया पच्चीस पैसे मात्र) की दर से प्रत्येक आशा हेतु 10 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें। यह पोस्टर मेपलिथो पेपर (80 जी0एस0एम0) पर होंगे, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है, जिसमें रू0 5/– (पांच रूपया मात्र) प्रिन्टिंग मूल्य एवं रू0 0.25 (पच्चीस पैसे मात्र) चस्पा करने

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
(NDCP.2.68. IEC.3)	का मूल्य है। (200 पोस्टर्स का पैकेट तैयार किया जाए) • **Brochure-** यह विवरण पंजिका A/4 साइज आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर 03 फोल्ड में होगी तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.50 (दो रूपया पचास पैसे मात्र) होगा। 200 विवरण पंजिका का 01 पैकेट तैयार किया जाए। • **Leaflet-** यह पत्रक A/4 साइड आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगा तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.00 (दो रूपया मात्र) होगा। 200 पत्रक का 01 पैकेट तैयार किया जाए। • ग्राम प्रधान के सहयोग से डुग्गी पिटवाना एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।
Contingency support (NDCP.2.68 .PME.4)	• इस मद से स्टेशनरी क्रय (चॉक, indelible मार्कर पेन, रस्सी गोद, पेन इत्यादि) तथा औषधियों को राज्य मलेरिया मुख्यालय से लाने एवं जनपदीय मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक आपूर्ति हेतु परिवहन संबंधी व्यय का भुगतान किया जा सकता है। • मैपिंग करने वाले non endemic जिलों कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 25000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का आवागमन, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है। • TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 50000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का आवागमन, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट मे नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है। नाइट ब्लड सर्वे में उत्तीर्ण होने के बाद PRE TAS और TAS गतिविधि के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 10000.00 अनुमन्य है।
डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्यक्रम	
Dengue and Chikunguny case management (NDCP.2.67 .OOC.1)	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में इस मद में प्रति जिला चिकित्सालय /जिला संयुक्त चिकित्सालय हेतु रू0 10000/– की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला चिकित्सालय एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिन्हित डेंगू/संचारी रोग वार्डों को मच्छर/वेक्टर रोधी बनाया जायेगा, जिस हेतु इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग खिड़कियों पर जाली लगाने, वाड में उपलब्ध सभी बेड हेतु LLIN (मच्छरदानी) लगाने एवं मच्छर को भगाने/मारने वाली मशीन हेतु किया जाना है।
Other incentive to ASHAs in urban (NDCP.2.67 .ASHA.1) and Asha incentive (NDCP.2.67.ASH A.2)-	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 की आर0ओ0पी0 में उपरोक्त दोनों मद Asha incentive for Dengue & Chikungunya (ग्रामीण आशाओं हेतु) एवं Other incentive to ASHAs for Dengue & Chikungunya (शहरी आशाओं) हेतु पांच उच्च संचरण (High transmission Season) वाले महीनों के लिए हेत रू0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशी स्वीकृत की गयी है। डेंगू संक्रमण के खिलाफ कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध ना होने की दशा में, सोर्स रिडक्शन (स्रोत कटौती) ही डेंगू उन्मूलन का मुख्य आधार है। हालाँकि, मानव

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023—24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा—निर्देश
मद	विवरण
	संसाधन की कमी और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण लार्वा स्रोत में कमी की गतिविधियाँ आवश्यकतानुसार नहीं की जाती हैं। इसलिए, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक है। अतः आशा कार्यकत्रियों से लगभग 5 महीने (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) तक चलने वाले उच्च संचरण के मौसम के दौरान घरेलू प्रजनन जाँच और लार्वा स्रोत कटौती के रूप में कार्य कराया जाएगा। आशा द्वारा घर—घर भ्रमण कर घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा सोत कटौती में मदद करने के साथ समुदाय में वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रू0 200/— प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सभी 75 जिलों में 5 माह हेतु माइक्रोप्लान बनाकर आशा कार्यकत्री द्वारा घर—घर भ्रमण कर निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगीं— 1. मच्छरों के प्रजनन की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जैसे पानी की टंकी, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनशेशन प्लेट, और एयर कंडीशनर्स, फूलों के गुलदस्ते और चींटी—ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निष्प्रयोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच करना एवं लार्वा स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित किया जाना 2. समुदाय को वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करना
Support for implementation of NVBDCP (NDCP.2.67 .OOC.3)	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023—24 की आर0ओ0पी0 में "वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन" के तहत घरेलू ब्रीडर चेकर्स **दैनिक आधार** पर अधिकतम 100 दिनों के लिए हायर करने के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य में वास्तविक श्रम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। **उक्त कार्य हेतु अर्बन आशा व डी0बी0सी0 को कार्य योजना में एक क्षेत्र में एक साथ ना लगाया जाये अर्थात दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया जाये जिससे किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो सके।** न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग अथवा इन्टरमीडियेट जीव विज्ञान वर्ग को प्राथमिकता देते हुये दैनिक मजदूरी के आधार पर डी0बी0सी0 हायर कर यह कार्य कराया जाये।
	एक सफल एडीज एजिप्टी वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए लार्वा स्रोत कमी गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में स्रोत कटौती गतिविधियों को करने के लिए घरेलू ब्रीडर चेकर्स (Domestic breeder checkers) को दैनिक आधार पर अधितम 100 दिनों (20 दिन प्रति माह कुल 5 माह हेतु) के लिए हायर किया जाना है जिनके द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार घर—घर जाकर Aedes aegypti लार्वा की breeding के प्रमुख स्रोत जैसे पानी के ओवर हैड एवं अण्डर ग्राउण्ड टैंक, फायर फाइटिंग हेतु जल भण्डारण टैंक, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनशेशन प्लेट, और एयर कंडीशनरस, फूलों के गुलदस्ते और चींटी—ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निष्प्रयोज्य सामान जैसे—प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच कर उनसे रुके हुए पानी को हटाए जाने के साथ—साथ स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
Apex Referral Labs recurrent (NDCP.2.67 .SRRE .1)	एपेक्स रेफरल लैब एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु रू0 300000.00 (रू0 तीन लाख) एवं एपेक्स रेफरल लैब के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु रू0 300000.00 (रू0 तीन लाख) की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका व्यय इंगित एपेक्स लैब द्वारा किया जायेगा। यह धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे एपेक्स रेफरल लैब को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से

M

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेष डैप हेतु आवंटित धनराशि के दिशा-निर्देश
मद	विवरण
	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।
Sentinel surveillance Hospital recurrent (NDCP.2.67 .SRRE .2)	इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 68 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब हेतु रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबल के क्रय, उपकरणों की मरम्मत एवं कन्टीजेन्सी पर किया जायेगा। यह धनराशि एस0एस0एच0 लैब के उपयोगार्थ है और यह धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे सी0एम0एस0 को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।

District wise name of SSH lab – 2023

S.N.	District	S.N.	Name of SSH Labs	Linked Districts
1	Agra	1	S.N Medical College, Agra	AGRA
		2	District Hoshpital, Agra	AGRA
2	Aligarh	3	J.N. Medical College, Aligarh	ALIGARH
		4	District Hospital, Aligarh	ALIGARH
3	Ambedkarnagar	5	MMR Govt. Medical College, Ambedkarnagar	AMBEDKAR NAGAR, SULTANPUR
4	Amethi	6	District Hospital, Amethi	AMETHI, SULTANPUR
5	Ayodhya	7	District Hospital, Ayodhya	AYODHYA
		8	Govt. Medical College Ayodhya	AYODHYA
6	Azamgarh	9	District Hospital, Azamgarh	AZAMGARH
7	Badaun	10	District Hospital, Badaun	BADAUN
		11	Govt. Medical College Badaun	BADAUN
8	Baghpat	12	District Hospital, Baghpat	BAGHPAT
9	Bahraich	13	CMS, Distt. Hospital, Bahraich	BAHRAICH
10	Ballia	14	District Hospital, Ballia	BALLIA
11	Balrampur	15	District Hospital, Balrampur	BALRAMPUR
12	Banda	16	District Hospital, Banda	BANDA
13	Bareilly	17	District Hospital Bareilly	BAREILLY, PILIBHIT
14	Basti	18	District Hospital, Basti	BASTI
15	Bijnor	19	District Hospital, Bijnor	BIJNOR
16	Chitrakoot	20	District Hospital, Chitrakoot	CHITRAKOOT
17	Deoria	21	District Hospital, Deoria	DEORIA
18	Etawah	22	Rural P.G.I Safai, Etawah	ETAWAH
19	Etah	23	District Hospital, Etah	ETAH
20	Firozabad	24	District Hospital, Firozabad	FIROZABAD
21	GB Nagar	25	Authority Hospital, G.B.Nagar (NOIDA)	G. B. NAGAR
		26	Govt. Medical College, GB nagar	G. B. NAGAR
22	Ghaziabad	27	District Hospital, Ghaziabad (M.M.G Govt.)	GHAZIABAD, HAPUR
23	Gonda	28	District Hospital Gonda	GONDA
24	Gorakhpur	29	District Hospital, Gorakhpur	GORAKHPUR
		30	RMRC Gorakhpur	GORAKHPUR
25	Hamirpur	31	District Hospital, Hamirpur	HAMIRPUR, MAHOBA
26	Hardoi	32	District Hospital Hardoi	HARDOI
27	Hathras	33	Govt. Medical College Hathras	HATHRAS
28	Jalaun	34	Govt. Medical College Jalaun	JALAUN
29	Jaunpur	35	District Hospital, Jaunpur	JAUNPUR
30	Jhansi	36	MLB Govt. Medical College, Jhansi	JHANSI
31	Kannauj	37	Govt. Medical College, Kannauj	KANNAUJ
32	Kanpur Nagar	38	GSVM Medical College, Kanpur Nagar	KANPUR NAGAR, KANPUR DEHAT, FARRUKHABAD,

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण

				AURAIYA, FATEHPUR
		39	U.H.M. Hospital, Kanpur Nagar	KANPUR NAGAR
33	Kasganj	40	District Hospital Kasganj	KASGANJ
34	Kushinagar	41	District Hospital, Kushinagar	KUSHINAGAR
35	Lalitpur	42	District Hospital, Lalitpur	LALITPUR
36	L. Kheri	43	District Hospital, Lakhimpur Kheri	L. KHERI
37	Lucknow	44	Regional Lab. Swasthya Bhawan, Lucknow	LUCKNOW, ANY OTHER DISTRICT
		45	PG RML Institute, Gomti nagar Lucknow	LUCKNOW, BARABANKI, UNNAO
38	Maharajganj	46	District Hospital, Maharajganj	MAHARAJGANJ
39	Mainpuri	47	District Hospital, Mainpuri	MAINPURI
40	Mathura	48	District Hospital Mathura	MATHURA
41	Mau	49	District Hospital, Mau	MAU
42	Meerut	50	L.L.R.M Medical College Meerut	MEERUT, BULANDSAHAR
		51	District Hospital Meerut	MEERUT
43	Moradabad	52	District Hospital Moradabad	MORADABAD, AMROHA
44	Muzaffarnagar	53	District Hospital, Muzaffarnagar	MUZAFFARNAGAR
45	Partapgarh	54	District Hospital, Partapgarh	PRATAPGARH
46	Prayagraj	55	MLN Medical College, Prayagraj	PRAYAGRAJ, KAUSHAMBI
47	Raebareli	56	District Hospital, Raebareli	RAEBARELI
48	Rampur	57	District Hospital, Rampur	RAMPUR, SAMBHAL
49	St. Kabeer Nagar	58	District Hospital, St. Kabir Nagar	S. K. NAGAR
50	Saharanpur	59	Distt. Hospital Saharanpur	SAHARANPUR
		60	Govt. Medical College, Saharanpur	SAHARANPUR
51	Shahjahanpur	61	District Hospital Shahjahanpur	SHAHJHANPUR
52	Shamli	62	District Hospital, Shamli	SHAMLI
53	Shravasti	63	District Hospital, Shravasti	SHRAWASTI
54	Siddharthnagar	64	District Hospital, Siddharthnagar	SIDDHARTHNAGAR
55	Sitapur	65	District Hospital, Sitapur	SITAPUR
56	Sonbhadra	66	District Hospital, Sonbhadra	SONBHADRA
57	Varanasi	67	Instt. of Medical Sciences, BHU Varanasi	VARANASI, CHANDAULI, GHAZIPUR, BHADOHI, MIRZAPUR
		68	District Hospital, Varanasi (Pt. Deen Dayal Hosp)	VARANASI

IEC/BCC for Social mobilization (NDCP.2.67.IEC)	इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया के बचाव हेतु प्रचार–प्रसार के लिए रू0 20000/– प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया के संबंध में जानकारी व जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार में किया जायेगा और यह एक्टिविटी अन्य वेक्टर बार्न डिजीज के साथ इन्टीग्रेट की जायेगी।
Inter-sectoral convergence (NDCP.2.67 .OOC.2)	इस मद के अंतर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं संगठनों की बैठक कर डेंगू से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।
Monitoring /supervision and Rapid response (NDCP.2.67 .PME.1)	इस मद के अंतर्गत जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा। जनपद एवं परिधिगत स्तर पर मल्टी डिस्प्लीनरी रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा सेन्टीनल लैब से प्राप्त डेंगू धनात्मक रोगियों के सत्यापन एवं केस आधारित निरोधात्मक कार्यवाही की जानी है। साथ ही वेक्टर नियन्त्रण

कार्यक्रम का नाम	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
विषय	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023–24 में शेष डैप हेतु आंवटित धनराशि के दिशा–निर्देश
मद	विवरण
	कार्यवाही कार्य योजना 2023 एवं NVBDCP guidelines के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, समय पर सन्दर्भन तथा सूचना संग्रहण एवं सूचना संप्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में कार्यरत एसीएमओ वी0बी0डी0 / जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य हेतु कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक्तानुसार उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त कार्य हेतु इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग वाहन को कार्य दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लेने हेतु किया जा सकता है।
Epidemic preparedness (NDCP.2.67.PME.2)	इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं महामारी की दशा में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, रैपिड रिस्पान्स टीम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संवेदीकरण हेतु NVBDCP की दिशा–निर्देश के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्ययोजना 2023 के अनुसार कार्य सम्पादित कराते हुये आशा / आई0एफ0डब्ल्यू0 / एस0एफ0डब्ल्यू0 / हायर्ड घरेलू ब्रीडर चेकर्स का संवेदीकरण कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर डेंगू संभावित रोगियों के सीरम सैंपल जांच हेतु नजदीकी एस0एस0एच0 लैब में भेजने पर होने वाले व्यय का भुगतान राजकीय मापदण्ड / नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है।
ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में कार्यरत् संविदा मानव संसाधन के लिये आवंटित धनराशि FMR code-8.1.15.11 (New FMR code-HSS.9.184.C.S0760)	
(New FMR code-HSS.9.184.C.S0760)	• ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में संविदा मानव संसाधन के लिये आर0ओ0पी0 2022–23 में अनुमोदित धनराशि एवं मानव संसाधन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये बजट भार के अनुसार जनपद स्तर हेतु धनराशि रू0 446.00 लाख जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर को अवमुक्त / आवंटित की गयी है। • मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को निर्देशित किया जा रहा है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में संविदा मानव संसाधन के लिये आंवटित की जा रही धनराशि अविलम्ब सम्बन्धित मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराया जाये।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु FAMS पोर्टल पर अंकित डैप के सापेक्ष जनपदों द्वारा नियमानुसार किये गये व्यय की सूचना FAMS पोर्टल पर अंकित करना / कराना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से की जाने वाली समीक्षा वित्तीय वर्ष 2023–24 के डैप के सापेक्ष की जायेगी।

<u>महत्वपूर्ण बिन्दु–</u>

- **निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0 / सी0पी0 / लिजिट रिलीज / 2022–23 / 130 / 2900 दिनांक**

29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रकिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रकिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त मदों से सम्बन्धित संलग्नक पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

भवदीया
(डा0 पिंकी जोवल) 13/9/23
मिशन निदेशक

पत्र सं0–30/NVBDCP/एन0पी0/2023–24/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ, उ0प्र0।
3. निदेशक, संचारी रोग एवं वी0बी0डी0, लखनऊ, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ कार्यरत् कर्मी (Accounts) के माध्यम से डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि के सापेक्ष राज्य/जनपद का नियमानुसार व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी0बी0डी0, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, ए0ई0एस0/जे0ई0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, फाइलेरिया एवं कालाजार, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
8. संयुक्त निदेशक, मलेरिया एवं डेंगू, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक–नियोजन, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0 को निर्देश के साथ कि संलग्न दिशा–निर्देश को UP NHM की website पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबंधक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ कि डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि का उपरोक्त दिशा–निर्देशा के अनुसार नियमानुसार व्यय तथा डैप (DHAP-2023-24) के सापेक्ष व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 लक्ष्मण सिंह)
महाप्रबन्धक–राष्ट्रीय कार्यक्रम

29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर कय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से कय प्रकिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त मदों से सम्बन्धित संलग्नक पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र सं0–30/NVBDCP/एन0पी0/2023–24/ 5006-9 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ, उ0प्र0।
3. निदेशक, संचारी रोग एवं वी0बी0डी0, लखनऊ, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ कार्यरत् कर्मी (Accounts) के माध्यम से डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि के सापेक्ष राज्य/जनपद का नियमानुसार व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी0बी0डी0, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, ए0ई0एस0/जे0ई0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, फाइलेरिया एवं कालाजार, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
8. संयुक्त निदेशक, मलेरिया एवं डेंगू, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक–नियोजन, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0 को निर्देश के साथ कि संलग्न दिशा–निर्देश को UP NHM की website पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबंधक, डी0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ कि डैप (DHAP-2023-24) में आंवटित धनराशि का उपरोक्त दिशा–निर्देशा के अनुसार नियमानुसार व्यय तथा डैप (DHAP-2023-24) के सापेक्ष व्यय विवरण FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 लक्ष्मण सिंह)
महाप्रबन्धक–राष्ट्रीय कार्यक्रम